न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 565 सन 2018
अनवान :–

1. उर्मिला पुत्री सन्तलाल जाति अग्रवाल निवासी नोहर तहसील नोहर।

वादीया

बनाम

1. सन्तलाल पुत्र हरचन्द जाति अग्रवाल निवासी नोहर तहसील नोहर।
2. संजय कुमार 3 पृथ्वीराज पि0 सन्तलाल जाति अग्रवाल मोदी निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
4. सुशीला 5 रचना 6 उषा 7 सुनिता 8 अन्जु पुत्रीया सन्तलाल जाति अग्रवाल मोदी निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।
उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी
निर्णय दिनांक :–21.01.2019

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा चक 6 जेएसएन के खाता संख्या 89/86 के प0न0 366/381 (66) के किला न0 3/0.215 ,4/0.215 ,7/0.253 ,8/0.2399 ,13/0.1986 ,14/0.1464हैक्ट प0न0 366/830 (59) के किला न0 24/0. 240 ,0/13 की 0.0759हैक्ट गै0मु0 रास्ता कुल 1.32976हैक्ट मय रास्ता भूमि जो सन्तलाल पुत्र हरचन्द के नाम से दर्ज थी उक्त भूमि सयुक्त परिवार की आय से खरीद की गई भूमि है इसलिये पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 का बराबर का हक हिस्सा है वादीया एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 एक ही परिवार के सदस्य है जिनके मध्य परिवारिक बटवारा हो हुआ है जिसके मुताबिक वाद भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 ने अपने हकों का त्याग वादीया के पक्ष में किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादीया के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पानें के अधिकारी है।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 को तलब किया गया तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 ने निवेदन किया की वाद भूमि सयुक्त परिवार की आय से खरीद की गई है इसलिये वाद भूमि में वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 का बरबार का हक हिस्सा है तथा परिवारिक समझौता में वाद भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 ने अपने हकों का त्याग वादीया के पक्ष में किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादीया के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उसके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है।

Web Copy - Not Official

a Mittal

हमने पत्रावली का अवलोकन किया राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है वादीया के कथनो के अनुसार वाद भूमि वादीया एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 की सयुक्त आय से खरीद की गई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है वादीया के कथनो को प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 ने स्वीकार किया गया है अर्थात वाद भूमि पैतृक सम्पति है जिसमें हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 का बराबर का हक हिस्सा तथा वादीया का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 जो वादी की बहने/भाई पिता है के साथ परिवारिक समझौता में वाद भूमि वादीया को प्राप्त हुई है वादीयाक` कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 ने स्वीकार किया की परिवारिक समझौता में वाद भूमि वादीया को प्राप्त हुई है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है। व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है।

इसप्रकार वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 ने स्वीकार करने के कारण काबिल डिक्री है किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 ने अपने हकों का त्याग किया गया है इसलिये राज्यहकों की सुरक्षा हेतु स्टाम्प डयूटी कायम की जानी उचित है ।

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 6 जेएसएन के खाता संख्या 89/86 के प0न0 366/381 (66) के किला न0 3/0.215 ,4/0.215 ,7/0.253 ,8/0.2399 ,13/0.1986 ,14/0.1464हैक्‍ट प0न0 366/830 (59) के किला न0 24/0.240 ,0/13 की 0.0759हैक्‍ट गै0मु0 रास्ता कुल 1.32976हैक्‍ट मय रास्ता भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 सन्तलाल के नाम से दर्ज है की वादीया खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 21.01.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official